प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

06 नवंबर, 2025

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने क्षेत्रीय विशेषज्ञता और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाने के लिए दो केंद्रीकृत संवर्गों के गठन की घोषणा की

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) ने भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग (आईएएंडएडी) के अंतर्गत दो नए विशेषीकृत संवर्गों के गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है: **केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा (सीआरए) संवर्ग एवं केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा (सीईए) संवर्ग।** यह सुधार, जो **1 जनवरी 2026** से लागू होगा, जिसका उद्देश्य गहन व्यावसायिक विशेषज्ञता विकसित करना तथा केंद्र सरकार के वित्त की लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में अधिक सुधार लाना है।

वर्तमान में, केंद्रीय प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा नौ महानिदेशक लेखापरीक्षा/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) कार्यालयों (शाखा कार्यालयों सहित) एवं विशिष्ट कार्यालयों जैसे महानिदेशक लेखापरीक्षा (के व्य), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आई एंड सीए), डीजीएसीई (ई एंड एसडी) और महानिदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) द्वारा की जाती है, जिनका संवर्ग नियंत्रण विभिन्न राज्य सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों और स्वतंत्र सीसीए में फैला हुआ है। सीआरए एवं सीईए के विकेन्द्रीकृत संवर्ग नियंत्रण के कारण विखंडन हो गया है, तथा ये संवर्ग क्रमशः 16

और 19 संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों में वितरित हैं।यह केन्द्रीकरण डीजी/पीडी (केंद्रीय संवर्ग) के अधीन संवर्ग प्रबंधन को एकीकृत करेगा, जो अनेक विखंडित संवर्गों को दो विशिष्ट धाराओं में समेकित करेगा। नए संवर्गों के अंतर्गत विभिन्न लेखापरीक्षा कार्यालयों , प्रशिक्षण संस्थानों एवं मुख्यालय जो समेकित प्रबंधन के अंतर्गत हैं , वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी स्तर पर 4,000 से अधिक लेखापरीक्षा पेशेवरों को एकीकृत किया जाएगा। सीआरए संवर्ग सरकार के राजस्व संग्रह की लेखापरीक्षा में विशेषज्ञता को बढ़ावा देगा, जबकि सीईए संवर्ग सरकार के व्यय के लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोनों संवर्गों का प्रशासन महानिदेशक/पीडी (केन्द्रीय संवर्ग) द्वारा संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में किया जाएगा, जिससे देश भर में लेखापरीक्षा कार्मिकों के लिए एकसमान मानक और कुशल तैनाती सुनिश्चित होगी।

सीआरए संवर्ग का गठन राजस्व लेखा परीक्षा करने वाले कार्यालयों के कर्मचारियों को एकीकृत करके किया जाएगा, जिसमें डीजीए (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली और संबंधित मुख्यालय प्रभाग शामिल हैं। सीईए संवर्ग वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा कार्यालयों, केंद्रीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों और कई मुख्यालयों सहित व्यय लेखापरीक्षा कार्यालयों के पेशेवरों को एक साथ लाएगा। इस पुनर्गठन से केंद्रीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक केंद्रित और लचीली संरचना तैयार होगी।

कार्यान्वयन और संक्रमण

यह योजना 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।

क्षेत्रीय विशेषज्ञता विकसित करने के लिए दो अलग-अलग एसएएस परीक्षा धाराएँ प्रारंभ की जाएंगी — एक सीआरए के लिए और दूसरी सीईए के लिए। वर्तमान वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा का सीईए में विलय किया जाएगा। इन संवर्गों में भविष्य की सभी नियुक्तियां इन विशेषीकृत परीक्षा धाराओं के माध्यम से की जाएंगी, तथा नए संवर्गों में शामिल होने वाले अधिकारियों को निर्धारित अवधि के भीतर संवर्ग-विशिष्ट प्रश्नपत्रों में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

सुधार के एक भाग के रूप में, मुख्यालय में लगभग 75% कार्यात्मक पद सीईए संवर्ग से भरे जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिनिर्धारण और प्रतिवेदन संबंधी कार्य प्रासंगिक क्षेत्र अनुभव वाले पेशेवरों को नियुक्त किया जाएगा। शेष 25% परिचालन लचीलापन बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध रहेंगे।

दोनों संवर्गों के अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होंगे। स्थानांतरण एवं एवं पदस्थापन बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें महानिदेशक/पीडी (केन्द्रीय संवर्ग) एक पदेन सदस्य होंगे, ताकि संगठनात्मक आवश्यकताओं और पदोन्नति संबंधी विचारों के आधार पर पारदर्शी और समान अवसर वाली पदस्थापन नीति सुनिश्चित की जा सकें।

सार्वजनिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करना

सीआरए और सीईए संवर्ग का निर्माण आईएएंडएडी की संगठनात्मक संरचना में एक ऐतिहासिक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। खंडित संवर्ग संरचनाओं को समेकित करके और सीआरए और सीईए में डोमेन-आधारित विशेषज्ञता स्थापित करके, इस पहल का उद्देश्य राजस्व और व्यय लेखापरीक्षा में अधिक व्यावसायिक गहराई प्राप्त करना, लेखापरीक्षा संसाधनों की तैनाती को अनुकूलित करना और केंद्र सरकार की वित्तीय निगरानी की गुणवत्ता और प्रभाव को बढ़ाना है।

यह सुधार सार्वजनिक लेखापरीक्षा में आधुनिकीकरण और उत्कृष्टता के लिए संस्थागत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो कुशल, जवाबदेह और पेशेवर शासन के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

केंद्रीकरण की इस योजना के मुख्य लाभ:

- सीआरए और सीईए के संवर्ग में विशेषज्ञता, जिससे राजस्व और व्यय लेखापरीक्षा में गहन डोमेन विशेषज्ञता प्राप्त होगी।
- संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों की संख्या में कमी, 16 (सीआरए) और 19 (सीईए) से प्रत्येक के लिए एक एकल केंद्रीय प्राधिकरण।

- बड़े, एकीकृत संवर्गों के अंतर्गत अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व पारदर्शी रोटेशन को सक्षम बनाता है और संगठनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गृह क्षेत्रों के निकट आवधिक पदस्थापन की संभावना में सुधार करता है।
- प्रशिक्षण संस्थानों और मुख्यालयों के लिए केंद्रीकृत संवर्ग होने से प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता कम हो जाती है
- केंद्रीकृत संवर्ग होने से संवर्ग प्रबंधन पर प्रशासनिक भार कम हो जाता है और एक समान एवं सुसंगत कार्यप्रणाली अपनाने में भी सहायता मिलती है।

केंद्रीकृत संवर्ग प्रबंधन बदलती लेखापरीक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर तीव्र और लचीली जनशक्ति तैनाती की सुविधा प्रदान करता है।

Office of the
Comptroller and Auditor General of India
Press Briefing
06.11.2025
RITU DHILLON
DIR. GENERAL (VIGILANCE)
PRAVIR PANDEY
ADAI (RAILWAYS)
K.S. SUBRAMANIAN
DAI (HR, IR, COORD. & LEGAL)
B.S. CHAUHAN
MEDIA ADVISOR
SWATI PANDEY
PR. DIRECTOR (P, SMU & COORD)